UPSH040325702022

न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०, कोर्ट संख्या–35, शाहजहाँपुर।

उपस्थितः– सुश्री तान्या सिंह..... {उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा}

(J.O. Code– U.P. –4689)

****

वाद संख्या–1679/2022,

1. राज्य

... ...अभियोजन।

बनाम

1. आशीष अवस्थी उम्र करीब 50 वर्ष पुत्र महेशचन्द्र अवस्थी,
2. रेखा अवस्थी उम्र करीब 50 वर्ष पत्नी आशीष अवस्थी,
3. शरद अवस्थी उम्र करीब 25 वर्ष पुत्र आशीष अवस्थी,

सर्वनिवासीगण मोहल्ला रेती, थाना रामचन्द्र मिशन, जिला शाहजहाँपुर।

... ... .अभियुक्तगण।

मु०अ०सं०–252/2020,

धारा–323, 498ए भा०दं०सं० व 3/4 डी०पी०ऐक्ट,

थाना–रामचन्द्र मिशन, जिला– शाहजहाँपुर।

घटना की तिथि	13.06.2020
एफ०आई०आर० किये जाने की तिथि	14.06.2020
आरोप पत्र प्रेषित किया जाने की तिथि	02.07.2022
संज्ञान की तिथि	02.07.2022
अभियोगित अपराध	323, 498ए भा०दं०सं० व 3/4 डी०पी०ऐक्ट
अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने की तिथि	06.06.2024
निर्णय की तिथि	23.06.2026
विचारण का परिणाम	दोषमुक्त

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक वाद में अभियुक्तगण **आशीष अवस्थी, रेखा अवस्थी एवं शरद अवस्थी** के विरूद्ध थाना रामचन्द्र मिशन जिला शाहजहाँपुर द्वारा **मु०अ०सं०–252/2020** के अन्तर्गत **धारा–**

323,498ए भा०दं०सं० व 3/4 डी०पी०ऐक्ट के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया है जिस पर न्यायालय द्वारा प्रसन्ज्ञान लिये जाने के पश्चात अभियुक्तगण का विचारण किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 13.06.2020 को समय करीब 10.00 बजे रात्रि, वहद स्थान मोहल्ला फत्तेपुर रेती, थाना रामचन्द्र मिशन, जिला शाहजहाँपुर के अंतर्गत अभियुक्तगण द्वारा अतिरिक्त दहेज के कारण वादी मुकदमा की पुत्री को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उन्हें मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की तथा अतिरिक्त दहेज में एक मोटर साइकिल व पचास हजार रूपये की माँग की।

3. अभियुक्तगण **आशीष अवस्थी, रेखा अवस्थी एवं शरद अवस्थी** द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी–अपनी जमानतें कराई गई है।

4. न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण **आशीष अवस्थी, रेखा अवस्थी एवं शरद अवस्थी** पर **धारा–323,498ए भा०दं०सं० व 3/4 डी०पी०ऐक्ट** का दिनांक 06.06.2024 को आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की मॉग किया।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए निम्नलिखित साक्षी को परीक्षित कराया गया है–

पी०डब्ल्यू०–1	डाली शुक्ला
पी०डब्ल्यू०–2	प्रमोद कुमार शुक्ला

6. अभियोजन पक्ष की ओर से उक्त साक्षियों के अतिरिक्त अन्य किसी भी साक्षी को न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं कराया गया है। जिसके पश्चात अभियोजन का साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त किया गया।

7. अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित प्रपत्र को साबित कराया गया है।

प्रदर्श क–1	तहरीर

8. अभियोजन पक्ष की मौखिक साक्ष्य की समाप्ति के उपरान्त अभियुक्तगण **आशीष अवस्थी, रेखा अवस्थी एवं शरद अवस्थी** का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० दिनांक 03.06.2026 को अंकित किया गया। अभियुक्तगण ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० में साक्ष्य के संबंध में गलत गवाही दिया जाना कहा है तथा अपने बचाव में सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया है। पत्रावली उभयपक्ष की बहस सुनने के बाद निर्णय हेतु नियत की गयी।

9. अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण पर आरोप लगाया गया है कि दिनांक 13.06.2020 को समय करीब 10.00 बजे रात्रि, वहद स्थान मोहल्ला फत्तेपुर रेती, थाना रामचन्द्र मिशन, जिला शाहजहाँपुर के अंतर्गत अभियुक्तगण द्वारा अतिरिक्त दहेज के कारण वादी मुकदमा की पुत्री को शारीरिक व

मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उन्हें मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की तथा अतिरिक्त दहेज में एक मोटर साइकिल व पचास हजार रूपये की माँग की।

10. अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये उपरोक्त आरोपों को साबित करने के लिये साक्षीगण पी०डब्ल्यू०–1 डाली शुक्ला एवं पी०डब्लू०–2 प्रमोद कुमार शुक्ला को परीक्षित कराया है।

11. साक्षी पी०डब्ल्यू०–1 डाली शुक्ला द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया कि, मेरी शादी दिनांक 18.02.2019 को आर्यन अवस्थी के साथ हिन्दू रीति रिवाज के साथ हुई थी। शादी में मेरे माता पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज दिया था। दिये गये दान दहेज से ससुरालीजन पति आर्यन अवस्थी, ससुर आशीष अवस्थी, सास रेखा, देवर शरद अवस्थी संतुष्ट नहीं थे। मांग को लेकर मुझे मारते पीटते थे। बेल्टों से व ईंट से भी मारा था। अतिरिक्त दहेज में मोटरसाइकिल व पचास हजार रुपये की मांग कर रहे थे। वो लोग गरीब थे (माता पिता) जिसके कारण मांग पूरी करने में असमर्थ थे। दिनांक 13.06.2020 को उपरोक्त मुल्जिमानों ने मारा पीटा। मेरा पति आर्यन अवस्थी मुझे शराब पीकर मारा था और उपरोक्त ससुरालीजन ने ईट से मुझे सिर पर मारा था। मैं बेहोश हो गई थी। ससुराल के पड़ोस में बुआ ने मेरे मायके फोन किया था। मौके पर मेरे पापा चाचा और भाई लोग आये थे। मैं मौके पर बेहोश पड़ी थी। मायके वालों ने 112 पर पुलिस को फोन किया था। पुलिस मौके पर आई और मुझे जिला अस्पताल ले गई। जहाँ पर मेरा मेडिकल हुआ। पुलिस आर्यन अवस्थी को थाने पर पकड़ कर ले गई थी। फिर मैं अपने मायके पापा, चाचा के साथ दो जोडी कपड़े लेकर आये। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। मैं आज न्यायालय में जो बयान देने आई हूं वहीं बयान सही है। पूर्व में मैंने जो बयान दिया है, आपसी मनमुटाव व लोगों के बहकावे में आकर दिया था। मेरे ससुरालीजन ससुर आशीष, सास रेखा, देवर शरद ने मुझसे अतिरिक्त दहेज में पचास हजार रुपेय नगद व एक मोटरसाइकिल की मांग नहीं की न ही मांग को लेकर उपरोक्त लोगों ने मुझे प्रताड़ित किया था न ही मेरे साथ मारपीट की थी। आपसी मनमुटाव के कारण पिता जी ने लोगों के कहने पर मुकदमा लिखा दिया था।

12. जब इस साक्षी की बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रति परीक्षा की गई तो इस साक्षी ने कहा कि, गवाह को 161 दं०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया गया। गवाह ने इन्कार करते हुए कहा मैंने दरोगा जी को कोई बयान नहीं दिया था। मेरे बयान कैसे लिखा इसकी वजह नहीं बता सकती। मेरे पति आर्यन अवस्थी की मृत्यु हो चुकी है। ससुरालीजन के साथ समझौता कर लिया है। यह कहना गलत है कि समझौता होने के कारण न्यायालय में सही बयान नहीं दे रही हूं।

13. साक्षी पी०डब्ल्यू०–2 प्रमोद कुमार शुक्ला द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया कि, मैंने अपनी पुत्री की शादी दिनांक 18.02.2019 को आर्यन अवस्थी के साथ किया था। पुत्री की बिदा के बाद उसके ससुरालीजन ससुर आशीष, सास रेखा, देवर शरद ने मेरी पुत्री से अतिरिक्त दहेज में पचास हजार रुपये, एक मोटरसाइकिल की मांग की थी न ही मांग को लेकर मेरी पुत्री को प्रताड़ित किया

था न ही मारपीट किया था। मेरे आपसी मनमुटाव व लोगों के कहने पर मुकदमा किया था। गवाह ने तहरीर व उस पर बने हस्ताक्षर की पुष्टि की, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया।

14. जब इस साक्षी की बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रति परीक्षा की गई तो इस साक्षी ने कहा कि, गवाह को 161 दं०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया गया। गवाह ने इन्कार करते हुए कहा कि मैंने दरोगा जी को कोई बयान नहीं दिया कैसे लिख लिया वजह नहीं बता सकता। मेरा उक्त लोगों से सुलह समझौता हो गया है यह कहना गलत है कि समझौता होने की वजह से सही बयान नहीं दे रहा हूं।

15. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन व अध्ययन किया गया।

16. भा०दं०सं० की धारा 323 यह प्रावधानित करती है कि, उस दशा के सिवाय, जिसके लिए धारा 334 में उपबन्ध है, जो कोई स्वेच्छया उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

17. भा०दं०सं० की धारा 498 ए में प्रावधानित किया गया है कि, जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

18. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा–3 में दहेज देने या लेने के लिए शास्ति एवं धारा–4 में दहेज माँगने के लिए शास्ति।

19. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये उपरोक्त आरोपों को साबित करने के लिये साक्षीगण पी०डब्ल्यू०–1 डाली शुक्ला एवं पी०डब्लू०–2 प्रमोद कुमार शुक्ला को परीक्षित कराया है। साक्षी पी०डब्ल्यू०–1 डाली शुक्ला द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया कि, मेरी शादी दिनांक 18.02.2019 को आर्यन अवस्थी के साथ हिन्दू रीति रिवाज के साथ हुई थी। शादी में मेरे माता पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज दिया था। दिये गये दान दहेज से ससुरालीजन पति आर्यन अवस्थी, ससुर आशीष अवस्थी, सास रेखा, देवर शरद अवस्थी संतुष्ट नहीं थे। मांग को लेकर मुझे मारते पीटते थे। बेल्टों से व ईंट से भी मारा था। अतिरिक्त दहेज में मोटरसाइकिल व पचास हजार रुपये की मांग कर रहे थे। वो लोग गरीब थे (माता पिता) जिसके कारण मांग पूरी करने में असमर्थ थे। दिनांक 13.06.2020 को उपरोक्त मुल्जिमानों ने मारा पीटा। मेरा पति आर्यन अवस्थी मुझे शराब पीकर मारा था और उपरोक्त ससुरालीजन ने ईट से मुझे सिर पर मारा था। मैं बेहोश हो गई थी। ससुराल के पड़ोस में बुआ ने मेरे मायके फोन किया था। मौके पर मेरे पापा चाचा और भाई लोग आये थे। मैं मौके पर बेहोश पड़ी थी। मायके वालों ने 112 पर पुलिस को फोन किया था। पुलिस मौके पर आई और मुझे जिला अस्पताल ले गई। जहाँ पर मेरा मेडिकल हुआ। पुलिस आर्यन अवस्थी को थाने पर पकड़ कर ले गई थी। फिर मैं अपने मायके पापा, चाचा के साथ दो जोडी कपड़े लेकर आये। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। मैं आज न्यायालय में जो बयान देने आई हूं वहीं बयान सही है। पूर्व में मैंने जो बयान

दिया है, आपसी मनमुटाव व लोगों के बहकावे में आकर दिया था। मेरे ससुरालीजन ससुर आशीष, सास रेखा, देवर शरद ने मुझसे अतिरिक्त दहेज में पचास हजार रुपेय नगद व एक मोटरसाइकिल की मांग नहीं की न ही मांग को लेकर उपरोक्त लोगों ने मुझे प्रताड़ित किया था न ही मेरे साथ मारपीट की थी। आपसी मनमुटाव के कारण पिता जी ने लोगों के कहने पर मुकदमा लिखा दिया था। जब इस साक्षी की बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रति परीक्षा की गई तो इस साक्षी ने कहा कि, गवाह को 161 दं०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया गया। गवाह ने इन्कार करते हुए कहा मैंने दरोगा जी को कोई बयान नहीं दिया था। मेरे बयान कैसे लिखा इसकी वजह नहीं बता सकती। मेरे पति आर्यन अवस्थी की मृत्यु हो चुकी है। ससुरालीजन के साथ समझौता कर लिया है। यह कहना गलत है कि समझौता होने के कारण न्यायालय में सही बयान नहीं दे रही हूं। साक्षी पी०डब्ल्यू०–2 प्रमोद कुमार शुक्ला द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया कि, मैंने अपनी पुत्री की शादी दिनांक 18.02.2019 को आर्यन अवस्थी के साथ किया था। पुत्री की बिदा के बाद उसके ससुरालीजन ससुर आशीष, सास रेखा, देवर शरद ने मेरी पुत्री से अतिरिक्त दहेज में पचास हजार रुपये, एक मोटरसाइकिल की मांग की थी न ही मांग को लेकर मेरी पुत्री को प्रताड़ित किया था न ही मारपीट किया था। मेरे आपसी मनमुटाव व लोगों के कहने पर मुकदमा किया था। गवाह ने तहरीर व उस पर बने हस्ताक्षर की पुष्टि की, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। जब इस साक्षी की बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रति परीक्षा की गई तो इस साक्षी ने कहा कि, गवाह को 161 दं०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया गया। गवाह ने इन्कार करते हुए कहा कि मैंने दरोगा जी को कोई बयान नहीं दिया कैसे लिख लिया वजह नहीं बता सकता। मेरा उक्त लोगों से सुलह समझौता हो गया है यह कहना गलत है कि समझौता होने की वजह से सही बयान नहीं दे रहा हूं।

20. उक्त साक्षी द्वारा अपने बयान में ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा अतिरिक्त दहेज के कारण शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करके मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया हो या अतिरिक्त दहेज में एक मोटर साइकिल व पचास हजार रुपये की मांग की हो। अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण द्वारा ऐसा कोई बयान पत्रावली पर नहीं दिया गया है जो घटना के अभियुक्तगण आशीष अवस्थी, रेखा अवस्थी एवं शरद अवस्थी की संलिपत्ता को साबित करता हो। उक्त साक्षीगण द्वारा ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है जिससे अभियुक्तगण आशीष अवस्थी, रेखा अवस्थी एवं शरद अवस्थी को दोषसिद्ध किया जा सके।

21. आपराधिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अभियोजन को अपने साक्ष्य से अभियोजन कथानक को संदेह से परे साबित करना होगा और यदि अभियोजन ऐसा करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जायेगा। विधि व्यवस्था ***योगेश सिंह बनाम महावीर सिंह एवं अन्य 2016 (97) ए०सी०सी० पेज 993*** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि, "अभियोजन के लिए आवश्यक है कि अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे साबित करें जब उपलब्ध सामग्री के आधार पर दो अभिमत सम्भव हो तो, जो मत अभियुक्त के पक्ष में जाता हो, उसे अपनाया जायेगा।"

(तान्या सिंह),
अपर सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०,
कोर्ट संख्या-35, शाहजहाँपुर।
जे०ओ०कोड- यू०पी० 4689

22. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था ***एच०पी० एडमिनिस्ट्रेशन बनाम ओम प्रकाश, ए०आई०आर० 1972 सुप्रीम कोर्ट 1975*** में यह अवधारित किया गया है कि प्रत्येक संदेह का लाभ अभियुक्तगण को दिया जायेगा। इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था ***हरेन्द्र बनाम आसाम राज्य, ए०आई०आर० 2008 सुप्रीम कोर्ट 2467*** में यह अवधारित किया गया है कि अभियोजन को अपना पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रत्येक संदेह से परे सिद्ध करना होगा एवं संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जायेगा।

23. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि साक्षीगण द्वारा अपने बयान में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो यह साबित करता हो कि अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री को अतिरिक्त दहेज के कारण शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करके मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया हो या अतिरिक्त दहेज में एक मोटर साइकिल व पचास हजार रुपये की मांग की हो।

24. अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षियों के अतिरिक्त अन्य कोई साक्षी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।

25. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा साक्षीगण पी०डब्ल्यू०–1 डाली शुक्ला एवं पी०डब्ल्यू०–2 प्रमोद कुमार शुक्ला को न्यायालय में परीक्षित कराया गया है। साक्षीगण ने अपनी मुख्य परीक्षा के बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है तथा प्रतिपरीक्षा में भी घटना से इन्कार किया है। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षियों के अतिरिक्त अन्य कोई भी साक्षी को न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया गया है। प्रस्तुत प्रकरण सन् 2020 का है जिसमें दिनांक 06.06.2024 को आरोप विरचित किया गया। अभियोजन साक्षियों को जरिए कई आदेशिकाएं तलब किया गया, परन्तु प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षीगण पी०डब्लू०–1 एवं पी०डब्लू०–2 को परीक्षित कराने के पश्चात अन्य किसी भी साक्षी को न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं कराया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन अपने कथानक को अभियुक्तगण आशीष अवस्थी, रेखा अवस्थी एवं शरद अवस्थी के विरुद्ध युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। जब अभियुक्तगण के विरुद्ध कारित अपराध साबित नहीं हो सका है तो ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण आशीष अवस्थी, रेखा अवस्थी एवं शरद अवस्थी को अन्तर्गत धारा 323, 498 ए भा०दं०सं० व 3/4 डी०पी०ऐक्ट में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

1. अभियुक्तगण **आशीष अवस्थी, रेखा अवस्थी एवं शरद अवस्थी** को न्यायालय द्वारा लगाये गये आरोप **मु०अ०सं०–252/2020,** अन्तर्गत **धारा 323, 498 ए भा०दं०सं० व 3/4 डी०पी०ऐक्ट** के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं, उनके जमानतपत्र एवं स्वबंध पत्र निरस्त किये जाते हैं तथा उनके प्रतिभूगण को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

2. अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह धारा 437 ए दं०प्र०सं० के प्रावधानों के अनुरूप मु० 25,000/–रु० का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान राशि के दो–दो प्रतिभू इस उद्देश्य हेतु

(तान्या सिंह),
अपर सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०,
कोर्ट संख्या-35, शाहजहाँपुर।
जे०ओ०कोड- यू०पी० 4689

प्रस्तुत करें कि यदि इस आदेश के विरुद्ध माननीय अपीलीय न्यायालय में अपील की जाती है एवं उसे तलब किया जाता है तो वह वहाँ उपस्थित होगा। यह बंधपत्र छः माह की समयावधि तक प्रभावी होगा।

दिनांक– 23.06.2026

(तान्या सिंह),
अपर सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०,
कोर्ट संख्या–35, शाहजहाँपुर।
J.O. Code– UP4689

उक्त निर्णय एवं आदेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक– 23.06.2026

(तान्या सिंह),
अपर सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०,
कोर्ट संख्या–35, शाहजहाँपुर।
J.O. Code– UP4689